AADHAAR

RAJASTHAN PATRIKA, Delhi, 8.9.2017

Page No. 13, Size:(21.14)cms X (10.45)cms.

ऐसे करें चेक...

बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक है या नहीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. कालेधन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने नए बैंक खाते खोलने के लिए और पुराने खातों की केवाईसी पूरी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से 1 जून, 2017 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक खातों को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2017 है। जिन लोगों के अकाउंट उनके आधार से 31 दिसंबर 2017 तक नहीं जुड़ेंगे, वे अपने बैंक खाते से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पत्रिका आपको बता रहा है कि कैसे आप घर बैठे यह चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले आप आधार की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं। इसके बाद आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक कीजिए। यहां आप अपना आधार नंबर और दिया गया सिक्योरिटी कोड डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद अब लॉग-इन बटन पर क्लिक कीजिए। लॉग-इन करने के बाद यहां आपको साफ नजर आएगा कि किन बैंक अकाउंट्स के साथ आपका आधार लिंक है या नहीं।

इन बातों का रखें ख्याल

यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां आपको सिर्फ उसी बैंक खाते के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आपने आधार से लिंक करवाया है। अगर आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको बैंक से ही इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। मोबाइल सेवा का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो।

अपने मोबाइल के जरिए ऐसे चेक करें स्टेटस

1. *99*99*1# पर डायल करें।
2. अपनी आधार संख्या दर्ज करें।
3. यह सुनिश्चित करें कि आपकी ओर से दर्ज की गई आधार संख्या सही है।
4. इसके बाद आपको कन्फर्म होगा कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं।